

**सहायक कलक्टर**  
(फाउंडेशन) गिरवा  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गिरवा, उदयपुर

दुलेखित विपक्षी सुमेरखित

क्रमांक १०२२ (१५०२) पत्रावली संख्या ४१३ सन् १९

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गईं
<p><u>30-9-2020</u></p> <p>पत्रावली जारी/वाही के अर्थात् पत्र से शिगाह से तलब होकर पेश हुई। प्रकरण में वादी एवं उनके अधिवक्ता गणेश लाल डांगी उपस्थित हुए, वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या ५, ६ व ७ भी उपस्थित हुए। वादी द्वारा अपना शरीर फोटो एवं आधार ID प्रस्तुत किया गया। एवं माफ़िस अधिवक्ता वाद विद्वां ब्रने हेतु अर्थात् पत्र पेश किया गया।</p> <p>अपने अर्थात् पत्र में वादी द्वारा निवेदन किया कि आप-न्यायालय में प्रकरण संख्या ५१३/१९ वाद एवं १५४/१९ अर्थात् पत्र विचारधीन है, जो दिनांक २९-१०-२०२० को सुनवाई हेतु नियत है। प्रकरण में हम पदावरण के अर्थ आपकी रजिगंगा हो जाने से अब प्रकरण में आगे कोई कामवाही नहीं करना चाहता हूँ। अतः वाद विद्वां ब्रने का आदेश फरमावे।</p> <p>पत्रावली को देखी जाकर अर्थात् पत्र का अक्लोजन किया गया। न्यायालय में पुछने पर भी वादी द्वारा वाद विद्वां किया जाना स्वीकार किया गया। (P.T.O.)</p>	<p>दुली सीट्टे</p> <p>Identifical.</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>सहज्जनसिंह</p> <p>मनीवकीर</p>

सहायक कलक्टर  
(फाउंडेशन) गिरवा  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गिरवा, उदयपुर

अतः प्रथम वादी का प्रथमा पत्र इस शर्त  
 पर स्वीकार किया जाता है कि वादी 'Same  
 Cause of Action' का वाद पेश नहीं  
 करेगा। प्रथम वादी का प्रथमा पत्र स्वीकार  
 किया जाकर वह इसी तरह किन्हीं किन्हीं  
 जाता है।

प्रकरण फैसल हुआ है कि नम्बर  
 से अभिहित।

(डा० साग्या झा)  
 I.A.S.

सहायक कलेक्टर  
 (आर.टी.के.) गिरा  
 कलेक्टर परिसर, उदयपुर